(ix) G.S.R. No. 321(E), dated the 27th March, 1987, exempting the goods, falling under heading Nos. 72.15 and 73.09 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the duty of excise leviable thereon, which is specified in the said schedule, as is in the excess of amount calculated at the rate of 365 per tonne, in supersession of Notification No. 386|86 Central Excises, dated 20-8-1986.

(x) G.S.R. No. 322 (E), dated the 27th March, 1987, exempting the goods, falling under heading Nos. 72.15 and 73.09 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Scheduled.

[Placed in Library. See No. LT-4174/87 for (vii) to (x)].

(xi)G.S.R. No. 328 (E), dated the 27th March, 1987, amending Notification No 51/87-Central Excises, dated 1-3-87, so as to substitute the entry "woven fabrics of wool" for the existing entry in Column 2 of the Table annexed thereto. [Placed in Library. See No. LT-4146|87].

(xii) G.S.R. No. 347(E), dated the 31st March, 1987, amending Notification No. 463/86-Central Excises, dated 9-12-1986, regarding concessional rate of excise duty for certain light commercial vehicles, so as to extend its validity upto 30th day of June, 1987.

(xiii) G.S.R. No. 354 (E), dated the 31st March, 1987, amending Notification No. 53/87-Central Excises, dated 1-3-87 so as to extend the concessional rate of basic excise duty on polyester-wool blended yarn to such yarns containing other natural textile fibres.

(xiv) G.S.R. No. 355 (E), dated the 31st March, 1987, amending Notification No. 34|87-Central Excises, dated 1-3-87, so as to extend the time limit for approval of surface design Cigarette Packages upto 15th April, 1987.

[Placed in Library. See No. LT-4174/87 for (xii) to (xiv)].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Notification No. F. 23015/5/87-Admn. III, dated the 6th April, 1987, appointing a Commission of Inquiry to inquire into the events and circumstances leading to the arrangements entered into with the Fairfax Group Inc.

[Placed in Library. See No. LT-4186-A|87]

High Court Judges (Amendment) Rules, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 24 of the High Court Judges' (Conditions of Service) Act, 1954, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification G.S.R. No. 299 (E), dated the 20th March, 1987, publishing the High Court Judges (Amendment) Rules, 1987.

[Placed in Library. See No. LT-4193/87]

I. Accounts (1985-86) of the Indian Institute of Technology, Delhi and related papers.

II. Report and Audited Accounts (1985-86) of the Sahitya Akademic, New Delhi and related papers.

III. Report and Audited Accounts (1985-86) of the Centre far Cultural Resources and Training, New Delhi and related papers.

IV. Report and Audited Accounts (1985-86) of the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi and related papers.

V. Report (1985-86) of the Indian Institute of Management, Lucknow and related papers.

VI. Reported and Audited Accounts (1985-86) of the Indian Institute of Management, Calcutta and related papers.

VII. Statement giving reasons for not laying the Audited Accounts (1985-86) of the Indian Institute of Management, Bangalore within the stipulated period.

VIII. Statement giving reasons for not laying the Report and Accounts (1985-86) of the Indian Institute of Management, Ahmedabad within the stipulated period.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

I. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन 1985–86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी०—4201/87]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(i)(क) 1985–86 के वर्ष के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) अकादमी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिए **देखिये** संख्या एल० टी०—4199/87]

(ii) (क) 1985–86 के वर्ष के लिए सांस्कृतिक ससाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) केन्द्र के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) के लिये **देखिये** सं० एल०टी०—4198/87]

(iii) (क) 1985-86 के वर्ष के लिए नेहरू स्मारक संग्राहालय व पुस्तकालय, नई दिल्ली का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) संग्रहालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिए **देखिये** सं० एल०टी०—4197/87]

(iv) (क) 1985–86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिए **देखिये** सं० एल०टी०—4116/87]

(v) (क) 1985–86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1985–86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।

(ग) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिये देखिये सं० एल० टी०--4117/87]

(vi) 1985-86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सं० एल० टी०--4122/87]

(vii) 1985-86 के वर्ष के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सं० एल०टी०--4123/87]

I. Report and Accounts (1985-86) of the Salar Jung Museum, Hyderabad and related papers

II. Report and Audited Accounts (1985-86) of the Sangeet Natak Akademi, New Delhi and related papers.

III. Report and Accounts (1985-86) of the National Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay and related papers

IV. Corrigendum to the document entitled 'National Policy on Education—1986—Programme of Action.'

श्रीमती कृष्णा साही : श्रीमन् मैं निम्नलिखित पत्र भी सभा पटल पर रखती हूं—

(viii) (क) 1985-86 के वर्ष के लिए सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे।

(ख) संग्रहालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिये देखिये सं० एल० टी०—4200/87]

(ix) (क) 1985-86 के वर्ष के लिए संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) अकादमी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) के लिये देखिये सं० एल० टी०—4202/87]

(X) (क) 1985-86 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1985-86 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(घ) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (घ) के लिये देखिये सं० एल० टी०—4121/87]

(xi) राष्ट्रीय शिक्षा नीति--1986 कार्रवाई योजना नामक दस्तावेज का शुद्धिपत्र।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एल ०टी०—4124/87]

Report and Accounts (1985-86) of the National Institute of Public Co-operation and Child Development, New Delhi and related papers